दिनांक - 2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में प्रस्तुत हुयी। वकुलाय नपास्थित। उभय पक्षों से सुना गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी खसरा 40, 41/613, 43, 44, 45, 51, 101/617, 168/627, 243/647, 362, 425/668, 470, 39, 102, कुल किता 14 कुल रकबा 11-94 है वाके ग्राम रिजोन्दा हरिनारायण मीणा नि० रिजोन्दा की खातेदारी की भूमि है। जिसमें रामदयाल पि० हरनारायण कोम मीना सा० देह खातेदार के नाम का अंकन है। वादी व प्रतिवादी न०1 बद्रीलाल के पुत्र हो प्रतिवादी न०1 रामदयाल ने अपने बयान में कथन किया है कि यह जमीन हमें हरिनारायण जी से प्राप्त हुयी है, हरिनारायण जी मेरे नानाजी थे। हरिनारायण के गोद मेरे पिताजी बद्रीलाल जी गये थे प्रतिवादी के द्वारा भी इकबाली जवाब दावा पेश किया गया है वादी व प्रतिवादी न०1

के पिता को भी उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी न01 के नाम खातेदारी में लगाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है अतः राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए आराजी ख0न0 40, 41/613, 43, 44, 45, 51, 101/617, 102, 168/627, 243/647, 365, 425/668, 470, 39, कुल किता 14 कुल रकबा 11-94 हैक्टर वाके ग्राम रिजोन्दा तहसील उनियारा में वादी व प्रतिवादी न01 का बहैसियत बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो फरीकेन खर्चा अपना-2 वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर तकमील कर हो तथा दफ्तर दाखिल हो।